न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–43/2018/टोंक (2018/00043)

1. बदाम पत्नि रामअवतार,
2. संतरा पुत्री रामअवतार,
3. गणेश पुत्र रामअवतार,

समस्त जाति ब्राहमण्, नि0 चैनपुरा, तह0 निवाई, जिला टोक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. लालाराम पुत्र हरिनारायण,
2. मदनपुत्र हरिनारायण,
3. नंदलाल पुत्र हरिनारायण,
4. सूरज पुत्र हरिनारायण,
5. कन्हैयालाल पुत्र हरिनारायण,
6. मुन्ना पुत्री हरिनारायण,
7. संतोष पुत्री हरिनारायण,
8. गीता पुत्री हरिनारायण,
9. रामकन्या बेवा हरिनारायण,

समस्त जाति ब्राहमण, नि0 श्योपुरा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोक दिनांक 27.4.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 262/2017.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.4.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 112, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के तहत विरूद्ध अपीलांट्स के विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 112/13 रकबा 9 बिस्वा ग्राम चैनपुरा, तह0 निवाई में स्थित है । प्रार्थीगण की भूमि के सटवा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 112/4 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व खसरा नंबर 112/1/1/3 रहे है जिसके परिवर्तित नंबर 112/4 हुए। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पति व पिता रामअवतार पुत्र धुलीचंद ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 9 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को रोड़ बाउण्ड्री सीमा छोड़कर बेचान की थी जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज मालिक चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार, निवाई से मिलीभगत कर गलत रूप से भूमि की नाप–चौप कर प्रार्थीगण की 9 बिस्वा भूमि को कम करते हुए प्रार्थीगण की बाउण्ड्रीवाल को तोडकर मौके पर सीमा चिन्ह आदि मिटा दिए है और मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा कायम कराने पर आमादा है जबकि प्रार्थीगण अपनी 9 बिस्वा भूमि के पूर्णतया खातेदार मालिक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 9 बिस्वा भूमि रोड़ बाउण्ड्री छोड .कर नाप–चौप कर पत्थरगढ़ी कायम करवाने के आदेश तहसीलदार, निवाई को प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नंबर 112/13 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा का रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर सीमाज्ञान करवाने हेतु उभयपक्ष को भू–प्रबंध विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने बाबत् दिनांक 27.4.2018 को निर्णय पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई। । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष भू–प्रबंध विभाग की नक्शा शीट के अनुसार सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु सहमति प्रदान की थी परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त सहमति के विपरीत रोड़ बाउण्ड्री को छोड़कर खसरा नंबर 112/13 रकबा 9 बिस्वा का सीमाज्ञान कराए जाने हेतु भू–प्रबंध विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई थी । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किए है कि रामअवतार पुत्र धूलीचंद ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 9 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को रोड़ बाउण्ड्री सीमा छोड़कर बेचान की थी। वस्तुतस्थिति यह है कि रामअवतार पुत्र धूलीचंद ने विक्रय पत्र 1/4, 1/4

सभी खातेदारों को बहिस्सा बराबर–बराबर रजिस्ट्री कराई थी । उक्त भूमि रोड बाउण्ड्रीवाल छोड़कर बेचान नहीं की गई थी एव ंना ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में इस बाबत् कोई अंकन ही है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर सीमाज्ञान कराए जाने हेतु भू–प्रबंध विभाग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष इस तथ्य से भी अवगत कराया था कि साबिक खसरा नंबर 112/1/1/3 के परिवर्तित नंबर 112/4 में से 1/4 भूमि रेस्पो0 के दादा को बेचान की गई थी लेकिन रजिस्ट्री के मुताबिक उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके परिवार के लोगों द्वारा कब्जा नहीं किया जाकर अपीलांटस की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा होने से सन् 1993 में उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष अपीलांट द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत किया गया था जो डिक्री किया जाकर रेस्पो0 को पाबंद किया गया था । तत्पश्चात् पक्षकारों के मध्य राजीनामे से उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रकरण संख्या 45/2007 में निर्णय दिनांक 12.7.2015 से डिक्री पारित हुई जिसके अनुसार ग्राम चैनपुरा की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 112/1/1/3 के हाल खसरा नंबर 112/4 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त रकबा 17 बिस्वा को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के नाम दर्ज करते हुए शेष क्षैत्रफल में से प्रतिवादीगण रामराय को 9 बिस्वा भूमि पश्चिमी मेड़ से तीन गट्टा ललवाड़ी रोड पर छोड़कर चौराहे तक लंबाई एवं भागफल में चौड़ाई तरमीम की जावे एवं शेष 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण बदाम वगेरह की नक्शा शीट सुपुर्दगीनामे के अनुसार रखी जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये । उक्त डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में नक्शा दुरूस्त कराया गया था जिसके आधार पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हुए लेकिन अब रेस्पो0 द्वारा उनकी भूमि रोड़ में दब जाने के कारण अपीलांटस की भूमि की तरफ अपनी भूमि बताकर नपवाना चाहते है, जो कतई न्यायोचित नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस बदाम द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र संख्या 229/2017 अंतर्गत धारा 128 राज0भू–राजस्व अधि0 बाबत् पत्थरगढ़ी अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 22.9.2017 को अधी0न्याया0 ने सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में दिनांक 14.10.2017 को अपीलांट की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की गई थी जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी आपत्ति नहीं की गई । उक्त आदेश के प्रभावी रहते रेस्पो0द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए पुनः अधी0न्याया0 के समक्ष सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर रेस्पो0के खसरा नंबर 112/13 रकबा 9 बिस्वा का सीमाज्ञान कराये जाने की स्थिति में उक्त रकबा अपीलांटस के कब्जे काश्त की आराजी के अंदर तक आ जायेगा जिससे अपीलांट के कब्जे काश्त

खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 112/4 रकबा 1बीघा 7 बिस्वा कम हो जायेगा । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे।

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि उभय पक्षकारान इस बात पर सहमत है कि वादवर्णित भूमि का सीमाज्ञान भू–प्रबंध विभाग (सेट्लमेंट) से करवा दिया जावे परन्तु रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 112/15 रकबा 0.09 है0 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा का रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर नियमानुसर सीमाज्ञान करवाने हेतु आदेशित किया है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष इस प्रकार की कोई सहमति प्रदान नहीं की गई थी बल्कि सेट्लमेंट विभाग के नक्शाशीट के आधार पर सीमाज्ञान कराए जाने पर सहमति हुई थी । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 112/13 रकबा 0.09 बीघा भूमि रेस्पो0 की है तथा खसरा नंबर 112/4 अपीलांट्स का है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में खसरा नंबर 112/13 रकबा 0.09 बीघा का रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर सीमाज्ञान करवाने हेतु उभयपक्ष को भू–प्रबंध विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान कराने हेतु निर्देश दिये है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स के इस कथन से सहमत है कि खसरा नंबर 112/13 रकबा 0.09 बीघा का रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर सीमाज्ञान करवाने की स्थिति में अपीलांट्स के खसरा नंबर 112/4 एवं अन्य खसरा नंबरान के रकबे में कमी होना संभावित है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट्स बदाम द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पपत्र संख्या 229/2017 अंतर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधि0 के तहत उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 22.9.2017 को उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने स्वीकार कर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किए थे जिसकी पालना में दिनांक 14.10.2017 को अपीलांट्स की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की गई है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त निर्णय का अपने निर्णय में कोई संदर्भ उल्लेखित नहीं किया है । इस संबंध में हम यह उचित समझते है कि अधी0न्याया0 को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वंय के द्वारा ही गत् भू–प्रबंध के समय के नक्शाट्रेस/मोमिया ट्रेस व आधार अभिलेख के आधार पर ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने पक्षकारों को ही भू–प्रबंध विभाग के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

—:क्रियात्मक आदेशः—

5- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 43/2018 (2018/00043) बउनवान बदाम बनाम लालाराम व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा प्रकरण संख्या 262/2017 बउनवानी लालाराम बनाम बदाम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.4.2018 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे गत् भू—प्रबंध के समय के नक्शाट्रेस/मोमिया ट्रेस व आधार अभिलेख के आधार पर पक्षकारान की उपस्थिति में भू—प्रबंध विभाग एवं तहसीलदार की टीम गठित कर विवादित भूमि के संबंध सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी के आदेश पारित करे।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

6- आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.13 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: